संख्या-145/2023/2936/22-2-2022-17(1099)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अप्रैल, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पीरबाबा सलीम पुत्र श्री कबीर, निवासी जनपद-बिजनौर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29977/प्रोबे0अनु0(2)-238/सला0समिति/(एम-14-09-2022)/2022, दिनांक 20.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पीरबाबा सलीम पुत्र श्री कबीर, ग्राम-पानी बाग, कस्बा व थाना-नजीबाबाद, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बंदी तांत्रिक पीरबाबा सलीम का कार्य करता था। शकीर का फैक्ट्री से काम छूट गया था। काफी परेशान रहता था। शकीर के घर तांत्रिक पीरबाबा सलीम का आना जाना था उसने कहा तुम्हारे घर कोई कुरवानी नहीं हुई है, कुरवानी कर दो सब ठीक हो जायेगा। दिनांक 19/20.05.2022 की रात्रि 3.00 बजे शकीर ने सोते समय 02 पुत्र व 01 पुत्री की गंडासा मारकर हत्या कर दी तथा 01 पुत्री को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-708/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/120बी के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 24.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2022 तक 19 वर्ष 09 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 01.03.2022 तक 76 वर्ष 09 माह 17 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 25.03.2022 द्वारा अभिमत में अंकित किया गया कि जेल मैनुअल के अनुसार समयपूर्व रिहाई हेतु नामिनल रोल पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अभिमत व्यक्त नहीं करना है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समिति का अभिमत है कि बंदी पीरबाबा सलीम तांत्रिक का कार्य करता था। शकीर का फैक्ट्री से काम छूट गया था। काफी परेशान रहता था। शकीर के घर तांत्रिक पीरबाबा सलीम का आना जाना था उसने कहा तुम्हारे घर कोई कुरवानी नहीं हुई है, कुरवानी कर दो सब ठीक हो जायेगा। दिनांक 19/20.05.2022 की रात्रि 3.00 बजे शकीर ने सोते समय 02 पुत्र व 01 पुत्री की गंडासा मारकर हत्या कर दी तथा 01 पुत्री को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पीरबाबा सलीम पुत्र श्री कबीर को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पीरबाबा सलीम (बन्दी संख्या-11703) पुत्र श्री कबीर, निवासी जनपद-बिजनौर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-145 /2023/2936(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।